रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271453
CG-DL-E-31032026-271453

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2026/चैत्र 10, 1948
No. 215] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2026/CHAITRA 10, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2026

सं. 33/2026-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 234(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010 में आगे और भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) संशोधन विनियम, 2026 कहा जायेगा।

(2) यह अधिसूचना 01 अप्रैल,2026 से प्रभावी होगी।

2. कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010 (एतिश्मिन् पश्चात प्रधान विनियम के रूप में सन्दर्भित) में, विनियम 2 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ग) में, उप-खंड (ii) को उसके परंतुक सहित हटा दिया जाएगा।

3. प्रधान विनियम में, विनियम 5 में, -

(क) उप-विनियमन (5) में, "कोई भी आयातित माल जिसकी मंजूरी नहीं ली जाती है" से शुरू होने वाले हिस्से के स्थान पर "उप-विनियमन (6) के प्रावधानों के अधीन, कोई भी आयातित माल जिसकी मंजूरी नहीं ली जाती है" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-विनियमन (5) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को अतं: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(6) अधिकृत कूरियर उस आयातित माल का प्रेषक के पास पुन: निर्यात या वापसी के लिए सीमा शुल्क से अनुरोध कर सकता है जो अपने आगमन की तारीख से पंद्रह दिनों के बाद भी अस्वीकृत रहता है:

बशर्ते कि उस माल अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत निषिद्ध या प्रतिबंधित न हों और किसी भी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा उनके संबंध में कोई कार्यवाही शुरू न की गई हो।

4. उक्त प्रधान विनियमों में, फॉर्म ई में, उप-शीर्षक "पुन: आयात के मामले में शिपिंग बिल विवरण" के तहत, -

(क)शिपिंग बिल के चालान संख्या से संबंधित मद के ए. 3 में तत्संबंधी कॉलम में, मद ख के पश्चात, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"ग. कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)";

(ख) बीमा (ix)-19(डब्ल्यू) (vi)(2) से संबंधित मद के बाद, निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जायेंगी, यथा:-

<table>
<tr><td>वापसी वायुमार्ग बिल संख्या
(ix) – 19 (डब्ल्यू) (vii)</td><td>क्या निर्यात ने गंतव्य देश के सीमा शुल्क को मंजूरी दे दी है? (हां/नहीं/ज्ञात नहीं) कृपया समर्थनकारी दस्तावेज़ अपलोड करें।
(ix) – 19 (डब्ल्यू) (viii)</td><td>क्या निर्यात एक ई-कॉमर्स निर्यात था? (हां नहीं) कृपया समर्थनकारी दस्तावेज़ अपलोड करें।
(ix) – 19 (डब्ल्यू) (ix)</td><td rowspan="2">यदि हाँ, तो यूआरएल
(ix) – 19 (डब्ल्यू) (x)</td></tr>
<tr><td colspan="2">क्या निर्यात लाभ का दावा किया गया है? (हां नहीं)
(ix) – 19 (डब्ल्यू) (xi)</td><td>यदि निर्यात लाभ का दावा किया जाता है, तो क्या निष्प्रभावी किया जाता है? (हां नहीं)। कृपया समर्थनकारी दस्तावेज़ अपलोड करें।
(ix) – 19 (डब्ल्यू) (xii)</td></tr>
</table>

[फा. सं. 455/02/2025-सीमा शुल्क V]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना संख्या 36/2010-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 5 मई, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.सं. *385 (अ), दिनांक 5 मई, 2010* के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 60/2024-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 12 सितंबर 2024, जिसे सा.का.नि.सं. *569(अ), दिनांक 12 सितंबर 2024 के* माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के माध्यम से संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2026

No. 33/2026-Customs (N.T.)

G.S.R. 234(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 84 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Amendment Regulations, 2026.

(2) This notification shall come into force on the 1st day of April, 2026.

2. In the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010 (herein after referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (2), in clause (c), sub-clause (ii) along with the proviso thereto shall be omitted.

3. In the principal regulations, in regulation 5,-

(a) in sub-regulation (5), for the portion beginning with "Any imported goods which are not taken clearance", the words "Subject to the provisions of sub-regulation (6), any imported goods which are not taken clearance" shall be substituted;

(b) after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted namely: -

"(6) The authorized courier may request the Customs for re-export or return of the imported goods to the sender that remain uncleared after fifteen days from the date of its arrival:

Provided that such goods are not prohibited or restricted under the Act or any other law for the time being in force and no proceedings have been initiated in respect thereof by any enforcement agency.".

4. In the said principal regulations, in Form E, under the sub-heading "Shipping Bills Details in case of Re-Import", -

(a) against the item relating to Invoice Number of Shipping Bill, in the corresponding column in A.3, after item b, the following item shall be inserted, namely: -

"c. Any other reason (Please specify)";

(a) after the item relating to Insurance (ix)-19(w)(vi)(2), the following items and the entries shall be inserted, namely: -

<table>
<tr><td>Return Airway Bill No
(ix) – 19 (w)(vii)</td><td>Whether the export cleared Customs of the destination Country?
(YES/NO/NOT KNOWN) Please upload supporting documents.
(ix) – 19 (w)(viii)</td><td>Whether Export was an E-Commerce Export? (YES/NO) Please upload supporting documents.
(ix) – 19 (w)(ix)</td><td rowspan="2">If YES, URL
(ix) – 19 (w)(x)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Whether Export benefits claimed? (YES/NO)
(ix) – 19 (w)(xi)</td><td>If export benefits claimed, whether neutralised? (YES/NO). Please upload supporting documents.
(ix) – 19 (w)(xii)</td></tr>
</table>

[F. No. 455/02/2025-Cus.V]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 36/2010-Customs (N.T.), dated the 5th May, 2010 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 385(E), dated the 5th May, 2010 and was last amended *vide* notification No. 60/2024-Customs (N.T.), dated the 12th September 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 569(E), dated the 12th September 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA